संख्या-406 /एक-4-2024-रा0-4

प्रेषक,

अनिल कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ/दिनांकः 12 जून, 2024**

विषयः- राजस्व न्यायिक अधिकारियों हेतु वाहन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2891/12-6सी/2015, दिनांक 11.8.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा 740 राजस्व न्यायिक अधिकारियों हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संदर्भित पत्र में यह अवगत कराया गया है कि राजस्व न्यायिक अधिकारियों को केवल न्यायिक कार्य ही आवंटित किये जाने के निर्देश हैं, न्यायिक अधिकारियों को फील्ड से संबंधित/अन्य प्रशासनिक कार्य न लिये जाने के भी निर्देश हैं। न्यायिक अधिकारियों को राजस्व न्यायालय में बैठकर न्यायिक कार्य ही सम्पादित करना होता है, परन्तु न्यायिक अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण { यथा उपजिलाधिकारी द्वारा पैमाइश (धारा-24) के वादों में, तहसीलदार द्वारा सरकारी भूमि (धारा-67) आदि के वादों के सम्बन्ध में मौका मुआयना करने } हेतु जाना पड़ता है, जिसके लिये न्यायिक अधिकारियों को भी सरकारी वाहन अनुमन्य कराये जाने की आवश्यकता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-11 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार केवल न्यायिक कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों { यथा-60 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), 340 उप जिलाधिकारी(न्यायिक) व 340 तहसीलदार (न्यायिक) अर्थात कुल 740 पदों हेतु } को न्यायिक कार्यो के निष्पादन हेतु 740 से अनधिक (आवश्यकतानुसार) उन्हें पद अनुरूप अनुमन्य वाहन अथवा उसके समकक्ष वाहन जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा किराये पर लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त वाहनों की व्यवस्था निर्धारित नियमों/शासनादेशों के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए की जायेगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-50 के "लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-15 गाडियों का अनुरक्षण और पेट्राल आदि की खरीद" मद से किया जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव